सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जन आधार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2022-23

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, जयपुर-302005

जन आधार

सरकारी सुविधा पाने का नया आधार

प्रदेश की जनता को राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाला राशन अब जन आधार कार्ड से वितरित

जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड

विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ देय।

जन कल्याण की योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को जन आधार डेटाबेस पर आधारित **स्वत: सन्देश (Auto intimation)** एवं **स्वत: अनुमोदन (Auto approval)/ मानित अनुमोदन (Deemed approval)** की सुविधा आरम्भ।

राशन प्राप्त करने के लिए आज ही जन आधार के लिए नामांकन करें या परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वायें

स्वयं द्वारा
स्वयं की SSO ID से ऑनलाइन पोर्टल पर मुफ़्त

ई-मित्र पर
नया नामांकन व सदस्य जुड़वाना मुफ़्त

सूचनाओं में संशोधन
ई-मित्र पर निर्धारित दरों पर

"मेरा अधिकार मेरे हाथ"

अधिक जानकारी के लिए: टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 अथवा 181 पर कॉल करें या https://janaadhaar.rajasthan.gov.in देखें।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग

अनुक्रमणिका

1	राजस्थान जन आधार योजना	1
2	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा	3
3	विभाग में स्वीकृत, भरे हुये व रिक्त पदों का विवरण	6
4	प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्षों से तुलना	7
5	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	9
6	संचालित प्रमुख गतिविधियाँ	10
7	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के बजट प्रावधान	15
8	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र	16
9	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी सम्पर्क सूत्र	17

जन आधार के बढ़ते कदम

1 राजस्थान जन आधार योजना

1.1 परिचय

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019–20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से **'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **'राजस्थान जन–आधार योजना'** लाए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने और ई–मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाए जाने की घोषणा की गई।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 18.12.2019 को **''राजस्थान जन–आधार योजना, 2019''** का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के सभी विभागों की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से **''एक नम्बर एक पहचान''** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020''** को प्रवृत किया गया है।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 3) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 बनाये गये है, जिन्हें राजस्थान राजपत्र में दिनांक 04 अगस्त, 2021 को प्रकाशित करवाया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण **''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण''** का भी गठन किया जा चुका है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है।

1.2 राजस्थान जन आधार योजना के मुख्य उद्देश्य

राजस्थान जन–आधार योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को **''एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान''** प्रदान किया जाना।
- जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof of Identity), पते (Proof of Address) तथा संबंध (Proof of Relationship) के दस्तावेज के रूप में मान्यता दिलाना।
- पात्र लाभार्थियों के नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर–नकद लाभ, आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।
- राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभों के अतिरिक्त ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कराना।
- ई–मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।
- राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।

2 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा

2.1 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के तहत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठन किया गया। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	नाम / पदनाम	प्राधिकरण में पद
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग	शासकीय सदस्य
3	प्रभारी शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	शासकीय सदस्य
4	प्रभारी शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	शासकीय सदस्य
5	प्रभारी शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	शासकीय सदस्य
6	उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC)	शासकीय सदस्य
7	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर–शासकीय सदस्य
8	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर–शासकीय सदस्य
9	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य सचिव

2.2 कार्यकारिणी समिति

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का प्रभारी शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक की अध्यक्षता में गठन किया गया। कार्यकारिणी समिति के गठन का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	नाम/पदनाम	कार्यकारिणी में पद
1	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	अध्यक्ष
2	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य
3	विशिष्ठ/संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
4	वित्त विभाग द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी, जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से अनिम्न हो	सदस्य
5	निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सदस्य
6	निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सदस्य
7	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य सचिव

2.3 राज्य स्तर पर कार्यालय व प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग है एवं प्राधिकरण का कार्यालय राज्य स्तर पर योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में स्थित है। प्राधिकरण की क्रियान्वयन एजेन्सी राजकॉम्प इन्फो. सर्विसेज लिमिटेड जयपुर है। प्राधिकरण में वर्तमान में कुल 41 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा अन्य अराजपत्रित कार्मिक पदस्थापित हैं। साथ ही तकनीकी प्रकोष्ठ में उपनिदेशक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा सूचना सहायक कार्यरत हैं। विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विस्तृत विवरण अगले पृष्ठों पर उपलब्ध है।

2.4 जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार है–

2.4.1 जिला स्तर पर

जिला कलेक्टर	**जिला जन आधार योजना अधिकारी**
उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी
एस.ए./उप निदेशक (एसीपी), जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

2.4.2 ब्लॉक स्तर पर–

उपखण्ड अधिकारी	**उपखण्ड जन आधार योजना अधिकारी**
विकास अधिकारी/ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी
प्रोग्रामर	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

3 विभाग में स्वीकृत, भरे हुये व रिक्त पदों का विवरण

(दिनांक : 31 दिसम्बर 2022)

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	संयुक्त निदेशक	1	1	0
2	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	0
3	एसीपी (उपनिदेशक)	1	1	0
4	सहायक निदेशक	2	2	0
5	सांख्यिकी अधिकारी	3	3	0
6	प्रोग्रामर	1	1	0
7	सहा. लेखाधिकारी– प्रथम	1	1	0
8	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	7	7	0
9	सांख्यिकी निरीक्षक	3	3	0
10	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0
11	संगणक	3	2	1
12	सूचना सहायक	5	3	2
13	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
14	शीघ्र लिपिक	2	0	2
15	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
16	कनिष्ठ सहायक	3	3	0
17	सहायक कर्मचारी	5	4	1
	योग	**41**	**34**	**07**

4 प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्षों से तुलना

4.1 भौतिक प्रगति

4.1.1 जन आधार नामांकन

विवरण	इकाई / संख्या		
वर्ष	मार्च 2021	मार्च 2022	जनवरी 2023
नामांकित परिवार	179.85 लाख	189.51 लाख	195.24 लाख
नामांकित सदस्य	672.67 लाख	729.46 लाख	759.62 लाख

4.1.2 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण–

विवरण	इकाई / संख्या		
वर्ष	मार्च 2021	मार्च 2022	जनवरी 2023
जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण के लिए जुड़ी हुई योजनाओं की संख्या	114 योजनाएं / सेवाएं	114 योजनाएं / सेवाएं	70 योजनाएं
कुल नकद व गैर–नकद लाभों के ट्रांजेक्शन	89.37 करोड़	112.78 करोड़	128.62 करोड़
लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद लाभ हस्तांतरण	39583.39 करोड़	46676.85 करोड़	60630.62 करोड़

4.2 वित्तीय प्रगति

(राशि लाख रुपये)

क्र.सं.	गतिविधि	माह दिसम्बर 2022 तक व्यय
1	कार्मिकों का वेतन	196.46
2	चतुर्थ श्रेणी (होम गार्ड) वेतन	0.84
3	कार्यालय व्यय	29.59
4	विज्ञापन विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	5.80
5	वाहनों का किराया	74.23
6	लेखन सामग्री व्यय	3.63
7	मुद्रण व्यय	31.71
8.	कम्प्युटर एवं प्रिंटर क्रय	15.26
9	यात्रा भत्ता व्यय	0.77
10	पेंशन अंशदान भुगतान	0.62
11	राजकॉम्प को भुगतान	1666.00
	योग	**2024.91**

5 आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

5.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड से

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020–21 में आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में तथा इसके क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में लगभग 42.12 लाख ऐसे छठै। परिवारों को चिन्हित किया गया जिनका राशन कार्ड का डेटा जन आधार के डेटा से मैप नहीं था। इस मैपिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से किया गया है। यह कार्य अब लगभग पूर्ण है और यह राज्य की एक अद्वितीय पहल रहेगी कि देश में राशन कार्ड को पूर्णतः समाप्त करके एक अन्य पारिवारिक एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ दिये जाएंगे।

5.2 जन आधार प्लेटफॉर्म का डीबीटी भारत पोर्टल से एकीकरण

जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदायित लाभों को डीबीटी भारत पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है जिससे प्रथम बार राज्य की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार आया है साथ ही विभिन्न विभागों की लगभग 70 योजनाओं के लाभ जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदायित की जा रही है।

5.3 जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वतः सूचना और स्वतः सत्यापन

नवाचार के तहत जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ बिना आवेदन के सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभ की जन कल्याण की योजनाओं की पात्रता का पता लगा लिया जाता है और प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन को सरलता एवं सुगमता से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभ जन आधार के माध्यम से प्रदान करने हेतु स्वतः आवेदन एवं स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत आमजन द्वारा पात्रता पूर्ण करने के उपरान्त योजनाओं के लाभों से लाभान्वित किया जा रहा है।

यदि पात्र लाभार्थी द्वारा योजना की पात्रता पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार के दस्तावेज का अभाव है, तो जन आधार मे दर्ज मोबाइल नम्बर पर पात्रता पूर्ण करने संबंधी संदेश प्रसारित किया जाता है।

6 संचालित प्रमुख गतिविधियाँ

6.1 जन आधार नामांकन

रराज्य के सभी निवासी परिवार, नामांकन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता हैं। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरूष को मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया होता है। जन आधार नामांकन स्वयं के द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अथवा ई–मित्र केंद्र पर निःशुल्क कराया जा सकता है। जन आधार नामांकन हेतु अनिवार्य दस्तावेज निम्नानुसार है –

- परिवार के मुखिया के बैंक खाते की पास–बुक की प्रति
- परिवार के मुखिया व एक अन्य सदस्य के आधार कार्ड की प्रति
- परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट साईज के फोटो

6.2 जन आधार नामांकन का सत्यापन

जन आधार नामांकन एवं अद्यतन के समयबद्ध सत्यापन की व्यवस्था निम्नानुसार है –

सत्यापन	सत्यापन का स्तर	
	प्रथम सत्यापन	द्वितीय सत्यापन
ग्रामीण क्षेत्र (ब्लॉक स्तर)	ग्राम विकास अधिकारी	ब्लॉक विकास अधिकारी
शहरी क्षेत्र (जिला स्तर एवं अन्य शहरी निकाय)	नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी	उपखण्ड अधिकारी

प्रथम व द्वितीय स्तर सत्यापन के कार्य हेतु 10–10 दिवस की समय सीमा निर्धारित है। दोनों स्तरों पर निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं होने पर स्वतः सत्यापन (क्ममउमक) की व्यवस्था है। द्वितीय सत्यापन उपरान्त सिस्टम द्वारा डुप्लिसिटी की जाँच हेतु अनुलिपिकरण किया जाता है। जन आधार नामांकन के सफल सत्यापन उपरान्त जन आधार नंबर जारी किया जाता है जिसके आधार पर जन आधार कार्ड जारी किया जाता है। जन आधार कार्ड में परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या तथा प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या जारी की जाती है।

6.3 जन आधार कार्ड में संशोधन/अद्यतन

जन आधार सूचना में आवश्यकतानुसार संशोधन/अद्यतन स्वयं के SSO ID के माध्यम से निर्धारित दस्तावेज अपलोड कर निःशुल्क किया जा सकता है। साथ ही ई–मित्र केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर करवाया जा सकता है।

6.4 जन आधार प्लेटफॉर्म से विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की विभिन्न लोककल्याण की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जन आधार प्लेटफॉर्म से विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 16 विभागों की 70 विभागीय योजनाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। जोड़ी गई योजनाओं के विभागीय पोर्टल्स को जन आधार प्लेटफॉर्म से एकीकृत कर केन्द्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे, बेहतर व समयबद्ध रूप से प्रदान करने हेतु "प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT)" की व्यवस्था लागू की गई हैं। "प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)" की यह व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।

राजस्थान राज्य में लाभ हस्तांतरण की विभिन्न योजनाओं की प्रक्रियाओं के आईटी ऑटोमेशन तथा विभिन्न विभागीय पोर्टल्स के जन आधार पोर्टल से एकीकरण के पश्चात केवल पात्र लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण करने व अपात्र लाभार्थियों को हटाने के पश्चात राज्य को करोड़ों रुपयों की बचत हुई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में राजस्थान एक अग्रणी राज्य है।

वर्तमान में लाभार्थियों को नकद व गैर–नगद लाभों की प्रदायगी सुनिश्चित हो इसके लिए पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक नकद लाभ परिवार के मुखिया के बैंक खाते में तथा

व्यक्तिगत नकद लाभ संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में (यदि लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है तो परिवार की मुखिया के बैंक खाते में) हस्तांतरित किये जाते हैं। इसी प्रकार पात्रतानुसार देय सभी पारिवारिक गैर–नकद लाभ परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को तथा व्यक्तिगत गैर–नकद लाभ संबंधित लाभार्थी (अवयस्क लाभार्थी की स्थिति में परिवार के मुखिया) को आधार अधिप्रमाणन उपरान्त हस्तांतरित किये जाते हैं।

6.5 जन आधार कार्ड वितरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रदेश के निवासियों के पीवीसी जन आधार कार्ड उनके घर पर भिजवाये जा रहे है।

6.6 सामाजिक अंकेक्षण करवाना

राज्य की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान किये गये नकद व गैर–नकद समस्त लाभों के लेखों की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए इनके लेखे–जोखों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है। इसके लिए लोककल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान से संबंधित ग्राम पंचायतवार/वार्डवार शासकीय अभिलेख को, लोक सूचना के लिए छः माह के अन्तराल पर जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। अब तक दिनांक 18.12.2019 से 31.12.2022 की अवधि के शासकीय अभिलेख जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। जिसका प्रारूप निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है–

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जन-आधार

जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के हस्तान्तरित किये गए लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन

अवधि	:	01-07-2022 से 31-12-2022
ग्राम पंचायत	:	नांदरी
पंचायत समिति	:	सिकराय
जिला	:	दौसा

योजनावार लाभ वितरण की स्थिति

गाँव का नाम :नांदरी

अवधि : 01-07-2022 से 31-12-2022

क्र.स.	योजना का नाम	कुल लाभान्वित परिवार	सदस्य इकाई	कुल लाभ का वितरण
1	राशन - गेंहू (किग्रा)	405	1904	51330
2	राशन - अतिरिक्त गेंहू (किग्रा)	407	1912	51225
3	मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (रु.)	46	48	1243100
4	राजश्री योजना (चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) (रु.)	13	14	35000
5	सामाजिक सुरक्षा पेंशन (रु.)	281	397	1566750
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- मिनी छिड़काव (रु.)	1	1	37688
7	जननी सुरक्षा योजना (रु.)	23	25	38169

जन आधार योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 (01-07-2022 से 31-12-2022) में परिवार वार वितरित लाभों का विवरण

जिला:	दौसा	**पंचायत समिति:**	सिकराय
ग्राम पंचायत :	नांदरी	**गाँव :**	नांदरी

परिवार क्रम संख्या	1	**नाम:**	गुड्डी देवी		**पिता का नाम:**	अमर सिंह योगी	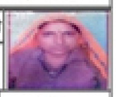
पति /पत्नी का नाम	प्यारे लाल योगी	**सदस्य:**	6	**जन आधार ID** ••••••5275	**माता का नाम**	चमेली देवी	

योजना	सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना(रु.)	1	0	0	0	0	0	5100	5100
नकद लाभ का योग (रु.)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5100**	**5100**

परिवार क्रम संख्या	2	**नाम:**	पुष्पा देवी		**पिता का नाम:**	जगन लाल बैरवा	
पति /पत्नी का नाम	विनोद कुमार मेहरा	**सदस्य:**	5	**जन आधार ID** ••••••7886	**माता का नाम**	इमरती देवी	

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	अतिरिक्त गेहू (किग्रा)	5	15	15	15	10	15	10	80
	गेहू (किग्रा)	5	15	15	15	10	15	10	80
नकद लाभ का योग (रु.)			0	0	0	0	0	0	0

परिवार क्रम संख्या	3	**नाम:**	छुट्टन लाल मीना		**पिता का नाम:**	किशोरी मीना	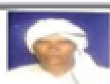
पति /पत्नी का नाम		**सदस्य:**	1	**जन आधार ID** ••••••8382	**माता का नाम**	गोरधनी	

योजना	सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
पेंशन (रु.)	1	750	750	750	750	750	0	3750
नकद लाभ का योग (रु.)		**750**	**750**	**750**	**750**	**750**	**0**	**3750**

परिवार क्रम संख्या	4	**नाम:**	बसंती देवी		**पिता का नाम:**	श्रवण मीना	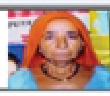
पति /पत्नी का नाम	रती राम	**सदस्य:**	2	**जन आधार ID** ••••••3242	**माता का नाम**	मुन्नी देवी	

योजना	सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
पेंशन (रु.)	2	1500	1500	1500	1500	1500	0	7500
नकद लाभ का योग (रु.)		**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**0**	**7500**

परिवार क्रम संख्या	5	**नाम:**	भोली देवी		**पिता का नाम:**	जगफूल	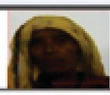
पति /पत्नी का नाम	रामेश्वर मीना	**सदस्य:**	3	**जन आधार ID** ••••••5604	**माता का नाम**	जमनी देवी	

योजना	सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
पेंशन (रु.)	2	1500	1500	1500	1500	1500	0	7500
नकद लाभ का योग (रु.)		**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**	**0**	**7500**

परिवार क्रम संख्या	6	**नाम:**	शांति देवी		**पिता का नाम:**	नन्नू राम मीना	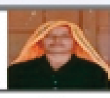
पति /पत्नी का नाम	बत्ती लाल मीना	**सदस्य:**	4	**जन आधार ID** ••••••6879	**माता का नाम**	कौशल्या देवी	

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	अतिरिक्त गेहू (किग्रा)	4	20	20	20	20	20	20	120
	गेहू (किग्रा)	4	20	20	20	20	20	20	120
नकद लाभ का योग (रु.)			0	0	0	0	0	0	0

परिवार क्रम संख्या	7	**नाम:**	गुड्डी देवी		**पिता का नाम:**	कैलाश	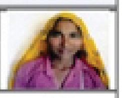
पति /पत्नी का नाम	पैरसिंह	**सदस्य:**	3	**जन आधार ID** ••••••5416	**माता का नाम**	तुलसा	

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	गेहू (किग्रा)	3	15	15	15	15	15	15	90
	अतिरिक्त गेहू (किग्रा)	3	15	15	15	15	15	15	90
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना(रु.)		1	150000	0	0	0	0	0	150000
नकद लाभ का योग (रु.)			**150000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150000**

7 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के बजट प्रावधान

(राशि लाख रुपये)

S.NO.	Budget Head/ Activity	BE 2022-23	RE 2022-23
1	3454—02—205—03—02 (92) सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	210.00	290.00
	योग (A) –	**210.00**	**290.00**
2	3454—02—205—03—02 (12) सहायतार्थ अनुदान (गैर–संवेतन)	3300.00	4480.00
3	3454—02—789—06—02 (12) सहायतार्थ अनुदान (गैर–संवेतन)	1300.00	1700.00
4	3454—02—796—06—02 (12) सहायतार्थ अनुदान (गैर–संवेतन)	2040.00	2700.00
	योग (B) –	**6640.00**	**8880.00**
	कुल योग (A+B) –	**6850.00**	**9170.00**

8 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	सम्पर्क सूत्र	
		फोन	मेल
1.	मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2227254	csraj@rajasthan.gov.in
2.	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2227200	Secretary.plan@ rajasthan.gov.in
3.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2222740	Dir.des@rajasthan.gov.in
4.	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं अतिरिक्त महानिदेशक (तकनीकि), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2222011	Secretary.itc@ rajasthan.gov.in
5.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2850218	Janaadhaar.des@ rajasthan.gov.in
6.	श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी	9549781728	Gupta90@yahoo.com
7.	श्री नन्द किशोर शर्मा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)	9887324855	Nandkishores.doit@ rajasthan.gov.in
8.	श्री अजय भारती, सहायक निदेशक	9414123468	Ajaybharti89@ rajasthan.gov.in
9.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सांख्यिकी अधिकारी	9414748311	Manish.kumar1986@ gov.in
10.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी	9529679103	Ravi120475@gmail.com
11.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी	9413285291	rc.karigar@ rajasthan.gov.in
12.	श्री राजकुमार मंगल, सांख्यिकी अधिकारी	9414893643	Rajmangal1970@ gmail.com
13.	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम	9772201694	Janaadhaar.des@ rajasthan.gov.in
14.	श्रीमती सुनीता मीणा, प्रोग्रामर	8764145865	Sunitameena2.doit@ rajasthan.gov.in

9 अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी सम्पर्क सूत्र

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	मेल
1.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	अजमेर	0145-2427247	dsoajm.des@rajasthan.gov.in
2.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	अलवर	0144-2337827	dsoalw.des@rajasthan.gov.in
3.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बांसवाडा	02962-242530	dsobns.des@rajasthan.gov.in
4.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बाडमेर	02982-220682	dsobrm.des@rajasthan.gov.in
5.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बांरा	07453-237021	dsobrn.des@rajasthan.gov.in
6.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	भरतपुर	05644-222723	dsobha.des@rajasthan.gov.in
7.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	भीलवाडा	01482-226188	dsobhl.des@rajasthan.gov.in
8.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बीकानेर	0151-2226026	dsobkn.des@rajasthan.gov.in
9.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बूंदी	0747-2442364	dsobun.des@rajasthan.gov.in
10.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	चित्तौडगढ़	01472-241212	dsochi.des@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	मेल
11.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	चूरू	01562-250403	dsochu.des@rajasthan.gov.in
12.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	दौसा	01427-224353	dsodau.des@rajasthan.gov.in
13.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	धौलपुर	05642-220737	dsodhl.des@rajasthan.gov.in
14.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	डूंगरपुर	02964-232205	dsodng.des@rajasthan.gov.in
15.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	श्री गंगानगर	0154-2443484	dsosngr.des@rajasthan.gov.in
16.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	हनुमानगढ़	01552-262402	dsohnu.des@rajasthan.gov.in
17.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जयपुर	0141-2203672	dsojpr.des@rajasthan.gov.in
18.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जैसलमेर	02992-251403	dsojsl.des@rajasthan.gov.in
19.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जालोर	02973-222463	dsojal.des@rajasthan.gov.in
20.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	झालावाड़	07432-232425	dsojlw.des@rajasthan.gov.in
21.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	झुंझुनू	01592-232832	dsojhu.des@rajasthan.gov.in
22.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जोधपुर	0291-2556560	dsojod.des@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	मेल
23.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	करौली	07464-250605	dsokar.des@rajasthan.gov.in
24.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	कोटा	0744-2325997	dsokota.des@rajasthan.gov.in
25.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	नागौर	01582-240773	dsongr.des@rajasthan.gov.in
26.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	पाली	02932-227512	dsopali.des@rajasthan.gov.in
27.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	प्रतापगढ़	01478-220052	dsoprt.des@rajasthan.gov.in
28.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	राजसमन्द	02952-221306	dsorjs.des@rajasthan.gov.in
29.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	सवाई माधोपुर	07462-220185	dsoswm.des@rajasthan.gov.in
30.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	सीकर	01572-255524	dsoskr.des@rajasthan.gov.in
31.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	सिरोही	02972-222427	dsosirohi.des@rajasthan.gov.in
32.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	टोंक	01432-247386	dsotonk.des@rajasthan.gov.in
33.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	उदयपुर	0294-2414384	dsoudr.des@rajasthan.gov.in

जन आधार

सरकारी सुविधा पाने का नया आधार

जन आधार की विशिष्टताएं

राष्ट्र में प्रथम बार

जन आधार के माध्यम से महिला को परिवार की मुखिया घोषित करने का श्रेय राजस्थान को।

राष्ट्र का सबसे बड़ा

पारिवारिक डेटाबेस।

राष्ट्र का पहला

पारिवारिक कार्ड जो कि राशन कार्ड भी है।

राष्ट्र में प्रथम

मूल डेटाबेस जिसके माध्यम से जन कल्याण की सभी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को एक प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण।

राष्ट्र में प्रथम बार

जन कल्याण की योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को जन आधार डेटाबेस पर आधारित **स्वतः सन्देश (Auto intimation)** एवं **स्वतः अनुमोदन (Auto approval)/ मानित अनुमोदन (Deemed approval)** की सुविधा आरम्भ।

"मेरा अधिकार मेरे हाथ"

अधिक जानकारी के लिए: टोल फ्री नम्बर 1800 180 6127 अथवा 181 पर कॉल करें या https://janaadhaar.rajasthan.gov.in देखें।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

योजना भवन, जयपुर - 302005

www.janaadhaar.rajasthan.gov.in

हेल्प डेस्क नं. : 0141-2850287 | टोल फ्री नं. : 1800 180 6127 | सम्पर्क हेल्प लाइन नं. : 181